

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक 07/07/2022

1490

विषय :-
खेताराम 2. देवाराम पि.
नारुचम, जाति दर्जी,
निवासी दर्जियों का तला
तहसील चौहटन,

विप्रार्थीगण:-

1. पेमाराम पुत्र प्रहलादराम 2. इसराराम पुत्र चेनाराम के का.मु. :-
- 2/1. जेताराम 2/2. नेनूराम पि. इसराराम 3. पेमाराम पुत्र चेनाराम
4. हरजीराम पुत्र हरचन्द 5. हरजीराम पुत्र वगताराम 6. देदाराम
7. पोकरराम पि. कुंभाराम 8. जोगाराम पुत्र ठाकराराम 9. गिरधारीराम पुत्र
- डालूराम 10. लाखाराम पुत्र देराजराम 11. हनुमान पुत्र धनाराम के का.
- मु. :- 11/1. खेमाराम 11/2. मूलाराम 11/3. गजेन्द्र
- 11/4. लिखमाराम पि. हनुमानराम 12. मूलाराम पुत्र लछाराम
13. खेताराम पुत्र नाराराम 14. पोकरराम पुत्र ताजाराम 15. खेताराम पुत्र
- विशनाराम 16. देवाराम पुत्र पुराराम 17. रेखाराम पुत्र मोहनलाल
- जाति दर्जी, निवासी दर्जियों का तला, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 42/2020

दिनांक : 07.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धारासर के मौजा दर्जियों का तला के खेत खसरा सं. 688/586 रकबा 28.11 बीघा, खसरा सं. 691/586 रकबा 08.12 बीघा, खसरा सं. 704/632 रकबा 75.10 बीघा, खसरा सं. 710/634 रकबा 06.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- की धर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू. अ. 2022/1491 to 1494

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण खेताराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण पेमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन अधिकारी

दिनांक

07/07/2022



(भागारथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
बाड़मेर